राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 125 / 2025

निर्णय दिनांक : 03.07.2025

दायर दिनांक – 03.07.2025

Rcms 2025/2039

1. रामनिवास पुत्र देवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम भानीसर तेजसिंहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम भानीसर तेजसिंहोतान तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 5 के खसरा संख्या 212 / 171 तादादी 1.0116 है0 हिस्सा 1 / 42 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालूराम पुत्र देवाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामनिवास पुत्र देवाराम है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र देवाराम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही ग्राम भानीसर तेजसिंहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों, रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक, रिपोर्ट पटवारी, पहचान प्रमाण सरपंच/प्रसाशक ग्राम पंचायत भानीसर तेहसिंहोतान व गवाहों के आधार पर प्रार्थी का सही नाम लालूराम के स्थान पर रामनिवास है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालुराम की बजाय रामनिवास दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, प्रशासक/सरपंच रिपोर्ट आदि में प्रार्थी का नाम रामनिवास मेघवाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेशः—

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही भानीसर तेहसिंहोतान के खाता संख्या नया 5 के खसरा संख्या 212/171 तादादी 1.0116 है0 में दर्ज खातेदार का नाम लालूराम के स्थान पर रामनिवास दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़